न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)
प्रकरण : राजवीर सिंह | SDO नीमराना
पृ.सं. 15/22/2023
01/02/2023

01/08/23

प्रार्थी ने कुछ नकल प्रार्थी उपर। नकल प्रार्थी ने फर्दिकुन किया कि पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमराना का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पत्रावली प्रभावहीन हो चुकी थी, पत्रावली प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज की जाती है परन्तु नकल प्राप्त होकर बाद नकल पत्रावली दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)